भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ /**Integrated Regional Office, Chandigarh**

सत्यमेव जयते

Nature Protects if She is Protected

F.No. -: 9-PBB329/2020-CHA दिनांक: 19 -10-2020

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन विभाग, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ।
(www.fcf@punjab.gov.in)

विषय: **Diversion of 0.0072 ha of forest land in favour of AGI Palace for construction of approach road to Group Housing Project namely AGI Palace at Village Pholriwal, Jalandhar City to Partapura 66 Feet road, under forest division and District Jalandhar, Punjab (Online proposal No. FP/PB/Approach/40953/2019)-regarding.**

Ref: (i) राज्य सरकार के पत्र संख्या FCA/1980/260/2019/895 दिनाक 24.02.2020
(ii) राज्य सरकार द्वारा अनुपालना रिपोर्ट न०FCA0FC5J/33/2020-FCA दिनाक 08.10.2020

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0072** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये|

ii. As violation is reported by State Government, a penalty as per Guidelines 1.21 (ii) is imposed, which inter-alia stipulates *"the penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for* ***each year*** *of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum up to* ***five (5) times the NPV*** *plus 12 percent simple interest till the deposit is made".*

iii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

iv. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।

v. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.

vi. FRA certificate from competent authority to be submitted.

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा :-

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा|
iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

iv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

v. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

viii. प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अन्तगर्त 'पर्यावरण अनुमति' के अनुसार पर्यावरण सरक्षण करेगी|

ix. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

x. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xi. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीवक न जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा 2-के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अधिनिय वन संरक्षण , 1980, की धारा 2-के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा |***केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा |***

भवदीय,

19/10/2020

(सी०डी०सिंह)
क्षेत्रीय आधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण परिवर्तन जलवायु एवं वन ,मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली। (www.adgfc-mef@nic.in)
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब। (www.pccfpunjab@gmail.com)
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला जालंधर पंजाब | (www.dfojalandhar@gmail.com)
4. AGI Palace, Village Pholriwal, Tehsil & District Jalandhar, Punjab. (www.agiinfra2019@gmail.com)